(5)

<u>सचिव, आवास / विभागाध्यक्ष महोदय</u>

कृपया अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल के निर्देशों के क्रम में आवास सचिव महोदय की समीक्षा बैठक दिनांक 21–4–2005 एवं मुख्य सचिव महोदय की विभागीय निरीक्षण आख्या दिनांक 09 मई, 2005 के अनुक्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल में कार्यरत कार्मिकों की वरिष्ठता सूची बनाने एवं उसके सापेक्ष रिक्त पदों पर विभागीय प्रोन्नति एवं प्रोन्नति के उपरान्त जो पद रिक्त होंगे, उन पर नई नियुक्ति सम्बन्धी आदेश पारित किये गये थे।

महोदय उत्तरांचल राज्य के गठन के उपरान्त अभी तक विभागीय प्रोन्नतियॉ नहीं हुई हैं जिससे विभाग के कार्मिकों में रोष व्याप्त हो रहा है। लम्बी अवधि से प्रोन्नति कोटे के कार्मिकों की प्रोन्नति न होने के कारण विभागीय कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित कराने में व्यवधान हो रहा है। महोदय जिन पदों पर प्रोन्नतियॉ की जानी हैं अथवा नई नियुक्तियॉ की जानी हैं, वह पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के हैं, जिनका नियुक्ति अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का विभागाध्यक्ष है, प्रोन्नति / नई नियुक्ति हेतु समिति का गठन किया जाना है जो निम्न प्रकार है।

1– नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति अधिकारी / विभागाध्यक्ष द्वारा नामित ज्येष्ठ राजपत्रित अधिकारी – अध्यक्ष

2– नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष द्वारा नामित निर्दिष्ठ सदस्य गण दो राजपत्रित अधिकारी – सदस्य

3– ज्येष्ठता के लिए राज्य के मूल विभाग नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्व में जारी की गयी वरिष्ठता सूची के आधार पर ही उत्तरांचल के कार्मिकों की वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है (वरिष्ठता सूची संलग्न)। जिस पर प्रोन्नति समिति द्वारा अपनी संस्तुति प्रेषित की जा सके।

अतः उपरोक्त वर्णित कार्यवाही सम्पन्न करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अधिकारियों की समिति गठन करने का प्रस्ताव आपके विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

1– श्री एस0 के0 पन्त, सहयुक्त नियोजक – अध्यक्ष

2– श्री टमस लेप्चा, सहायक नियोजक – सदस्य

3– श्रीमती गीता खुल्बै, सहायक वास्तुविद नियोजक – सदस्य

....2

उक्त गठित प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति प्रक्रिया के समय शासकीय नियमों के अनुसार क्रमशः

1– पदोन्नति का आधार अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर होगा।

2– प्रोन्नति हेतु सम्बन्धित कार्मिक के प्रोननति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की वार्षिक प्रविष्टियाँ देखी जायेगी और यदि वह अवधि 10 वर्ष से अधिक हो तो केवल 10 वर्ष की वार्षिक प्रविष्टियाँ ही देखी जायेगी।

3– आरक्षण का विशेष ध्यान समिति द्वारा रखा जायेगा एवं शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

अतः यदि महोदय अनुमोदन प्रदान करें तो उक्त वर्णित विभागीय प्रोन्नतियों सम्बन्धी प्रक्रिया गठित समिति द्वारा पूर्ण कर अपनी संस्तुति सहित आपकी स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे। इसी के साथ गठित समिति के सदस्यों को आपके अनुमोदन पश्चात कार्यवाही हेतु मुख्यालय द्वारा सूचित कर दिया जाय।

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,
53, टी0एच0डी0सी0 विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलेक्स, देहराखास, देहरादून।

पत्रांक– 783 / नग्रानि / प्रोन्नति (अराज0) / 2011 दिनांक : 15-4-2011

कार्यालय–ज्ञाप

विभाग में अराजपत्रित कार्मिकों की पदोन्नति हेतु पूर्व में आदेश संख्या– 1728 दिनांक 07 नवम्बर, 2006 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति में आंशिक संशोधन करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार नई पदोन्नति समिति का गठन किया जाता है। पूर्व में निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1–	श्री वी0पी0 शर्मा, सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2–	श्रीमती गीता खुल्बै, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून।	सदस्य
3–	श्री टमस लेप्चा, सहायक नियोजक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।	सदस्य

उक्त समिति नियमानुसार विभाग में रिक्त पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति सम्बन्धी आख्या वरिष्ठ नियोजक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा वरिष्ठ नियोजक तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ठ नियोजक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– श्री वी0पी0 शर्मा, सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी।
3– श्रीमती गीता खुल्बै, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून।
4– श्री टमस लेप्चा, सहायक नियोजक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

प्रमुख सचिव, आवास एवं विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

promotion

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड,
53, टी0एच0डी0सी0 विस्थापित क्षेत्र, तोमर काम्पलेक्स, देहराखास, देहरादून।

पत्रांक– 783 / नग्रानि/ प्रोन्नति (अराज0)/ 2011 दिनांक : 15-4-2011

कार्यालय–ज्ञाप

विभाग में अराजपत्रित कार्मिकों की पदोन्नति हेतु पूर्व में आदेश संख्या– 1728 दिनांक 07 नवम्बर, 2006 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति में आंशिक संशोधन करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार नई पदोन्नति समिति का गठन किया जाता है। पूर्व में निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1– श्री वी0पी0 शर्मा, सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी। — अध्यक्ष

2– श्रीमती गीता खुल्बै, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून। — सदस्य

3– श्री टमस लेप्चा, सहायक नियोजक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून। — सदस्य

उक्त समिति नियमानुसार विभाग में रिक्त पदोन्नति के पदों पर प्रोन्नति सम्बन्धी आख्या वरिष्ठ नियोजक को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा वरिष्ठ नियोजक तदानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वरिष्ठ नियोजक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– श्री वी0पी0 शर्मा, सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी।
3– श्रीमती गीता खुल्बै, सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून।
4– श्री टमस लेप्चा, सहायक नियोजक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

promotion

(3)

तृतीय श्रेणी कार्मिकों के विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 की कार्यवाही

उत्तरांचल शासन से नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्मिकों की अन्तिम आवंटन सूची प्राप्त होने के कारण विभाग में स्वीकृति पदों के सापेक्ष उस संवर्ग में कार्यरत अराजपत्रित कार्मिकों के रिक्त पदो के सापेक्ष पदोन्नति पर अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन के आदेशों के क्रम में गठित विभागीय समिति द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 को मुख्यालय, देहरादून में प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण पर विचार किया गया, जिसमें समिति द्वारा निम्न तथ्यों पर गहन अध्ययन किया गया –

1– प्रोन्नति में कार्मिक की वरिष्ठता को ध्यान में रखकर उस संवर्ग में रिक्त पदो के सापेक्ष उस संवर्ग में कार्यरत वरिष्ठ कार्मिक के प्रोन्नति पर विचार।

2– नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल के उत्तर प्रदेश से आवंटित तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संवर्गवार अन्तिम वरिष्ठता सूची, जो कि पैतृक विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अन्तिम वरिष्ठता सूची पर आधारित।

3– शासन द्वारा निर्गत रोस्टर प्रणाली का समिति द्वारा अनुपालन।

4– प्रोन्नति हेतु संस्तुति दिये गये कार्मिकों की विगत 10 वर्षो की गोपनीय चरित्र पंजिका एवं उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुये, जिससे प्रोन्नति प्रभावित न होती हो, को समिति द्वारा ध्यान रखा गया।

5– प्रोन्नति हेतु संस्तुति किये गये कार्मिकों का कार्य संतोषजनक एवं व्यवहार कुशलता को ध्यान में रखा गया है।

अतः नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल में संवर्गवार प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण को गठित समिति द्वारा संलग्नकों सहित स्वीकृति हेतु अग्रसारित किया जा रहा है। (संलग्नक 15 पृष्ठ)

(टमस लेप्चा)	(गीता खुल्बै)	(एस0 के0 पन्त)
सहायक नियोजक	सहायक वास्तुविद नियोजक	सहयुक्त नियोजक
सदस्य।	सदस्य।	अध्यक्ष।

प्रति 28/12/06

वरिष्ठ नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तरांचल, देहरादून।

प्रमुख सचिव आवास कृपया निर्णय के आदेश अनुमोदित करें
29-XII-06

वार्ता की। आदेश, पुनः के बाद प्रस्तुत करें।

(पी.सी. शर्मा)
प्रमुख सचिव
आवास विभाग

(6)

एस0टी0सी0पी0 महादेय,

कृपया विभागीय चयन समिति की संस्तुति एवं प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन एवं प्रमुख सचिव महोदय द्वारा दिनांक 25–1–2007 को प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार प्राप्त निर्देशों के क्रम में निम्न कार्मिकों की प्रोन्नतियाँ चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद आपके स्तर से प्रोन्नति आदेश जारी किये जाने हैं। चूँकि अब राज्य में 21 फरवरी, 2007 को चुनाव एवं दिनांक 27 फरवरी, 2007 को मतगणना प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों की प्रोन्नति आदेश महोदय द्वारा निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

क0 सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदनाम	प्रोन्नति के पद का नाम
1.	श्री बी0पी0 सुन्दरियाल	मुख्य लिपिक / प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 2	प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 1
2.	श्री पी0आर0 टम्टा (आरक्षित वर्ग)	प्रवर सहायक	प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 2
3.	श्री आर0एस0 नेगी	प्रवर सहायक	प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 2
4.	श्री डी0सी0 तिवाडी	सर्वेक्षण सहायक	संख्या सहायक
5.	श्री रवीन्द्र सिंह नेगी	योग्य मानचित्रकार	मुख्य मानचित्रकार

2– उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत करना है कि उपरोक्त कार्मिकों के प्रोन्नति आदेश इस शर्त के साथ निर्गत किया जाना उचित होगा कि अग्रिम आदेशों तक तदर्थ अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत एवं विभागीय पुनर्गठन प्रक्रिया अन्तिम चरण में होने के कारण उक्त कार्मिक अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे।

3– विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उक्त कार्मिकों की पदोन्नति इस आशय से की जा रही है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल राज्य को आवंटित वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उक्त कार्मिक अपने मूल पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

अतः महोदय यदि सहमत हों तो उपरोक्तानुसार कार्मिकों की प्रोन्नति आदेश पर हस्ताक्षर करना चाहें।

1-3-07

02-III-07

B.A.

विभाग–
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

<u>विभागाध्यक्ष महोदय,</u>

कृपया विभाग में वर्तमान में संख्या सहायक के स्वीकृत 4 पदों में से दो पद रिक्त हैं जिनमें से एक पद पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड को अन्तिम रूप से आवंटित कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण एवं दूसरा पद दिनांक 30.11.2010 को श्री बी0के0 भदूला, संख्या सहायक के सेवा निवृत्ति के उपरान्त रिक्त हुआ है।

लागू रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत संख्या सहायक के चार स्वीकृत पदों में से एक पद अनसुचित जाति के कार्मिक के लिए आरक्षित है, अतः वर्तमान में रिक्त दो पदों पर पहला पद अनुसूचित जाति के कार्मिक एवं दूसरे पद पर सामान्य वर्ग के कार्मिक की पदोन्नति द्वारा भरा जाना है क्योंकि वर्तमान में दो भरे पदों में दोनों कार्मिक सामान्य वर्ग के कार्यरत हैं।

विभागीय सेवानियमावली के अनुसार संख्या सहायक का पद प्रोन्नति का पद है तथा इस पद का पोषक पद सर्वेक्षण सहायक है। संख्या सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु मौलिक रूप से नियुक्त सर्वेक्षण सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना है।

विभाग में पूर्व में पत्रांक– 1728 दिनांक 07 नवम्बर, 2006 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया था जिसमें अध्यक्ष के पद पर श्री एस0के0 पन्त, सहयुक्त नियोजक को नामित किया गया था किन्तु श्री पन्त की पदोन्नति वरिष्ठ नियोजक के पद पर हो जाने पर उनके स्थान पर श्री वी0पी0 शर्मा, सहयुक्त नियोजक को समिति का अध्यक्ष एवं पूर्ववत अन्य दो सदस्य श्रीमती गीता खुल्बै, सहयुक्त नियोजक एवं श्री टमस लेप्चा, सहायक नियोजक को नामित किया जाना प्रस्तावित है। अतः कृपया संख्या सहायक के दो रिक्त पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी प्रकिया हेतु विभागीय पदोन्नति समिति गठित किये जाने सम्बन्धी स्वीकृति पर विचार करना चाहें।

(हस्ताक्षर) 31/3/11
वरिष्ठ नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

(हस्ताक्षर)
प्रमुख सचिव, आवास एवं विभागाध्यक्ष
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

promotion

72

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, 776–बी, इन्दिरानगर, देहरादून।

पत्रांकः 499/ नग्रानि/ विभागीय प्रोन्नति / 2007 दिनांक : 02 मार्च, 2007

–: **कार्यालय ज्ञाप** :–

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन एवं निर्देशों के कम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री पी0आर0 टम्टा, प्रवर सहायक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी की प्रोन्नति मुख्य सहायक, जिसका वर्तमान पदनाम प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड– 2 के पद पर वेतनमान रू0 5000–150–8000 में की जाती है। तदर्थ अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक श्री टम्टा अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रोन्नत पद पर कार्य करते रहेंगे। विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल राज्य को आवंटित इनसे वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री टम्टा अपने मूल पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

उक्त प्रोन्नति आदेश की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर श्री टम्टा द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा यह प्रोन्नति स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं उनसे कनिष्ठ कर्मचारी की प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा तथा जिसके लिये श्री टम्टा का कोई क्लेम नहीं होगा।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।
02.03.07

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री पी0 आर0 टम्टा, प्रवर सहायक द्वारा सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी।

2– सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी को इस आशय से कि वे श्री पी0 आर0 टम्टा, प्रवर सहायक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।

3– प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में।

4– प्रवर सहायक, मुख्यालय।

5– निजी पत्रावली हेतु।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।
02.03.07

B.A.

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, 776–बी, इन्दिरानगर, देहरादून।

पत्रांकः 502 / नग्रानि / विभागीय प्रोन्नति / 2007 दिनांक : 2 मार्च, 2007

–: **कार्यालय ज्ञाप** :–

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन एवं निर्देशों के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री रवीन्द्र सिंह नेगी, योग्य मानचित्रकार, मुख्यालय, देहरादून की प्रोन्नति मुख्य मानचित्रकार के पद पर वेतनमान रू0 5000–150–8000 में की जाती है। तदर्थ अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक श्री नेगी अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रोन्नत पद पर कार्य करते रहेंगे। विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल राज्य को आवंटित इनसे वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री नेगी अपने मूल पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

उक्त प्रोन्नति आदेश की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर श्री नेगी द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा यह प्रोन्नति स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं उनसे कनिष्ठ कर्मचारी की प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा तथा जिसके लिये श्री नेगी का कोई क्लेम नहीं होगा।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री रवीन्द्र सिंह नेगी, योग्य मानचित्रकार, मुख्यालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना मुख्यालय को प्रेषित करें।
2– सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, इन्दिरापुरम, जी0एम0एस0रोड़, देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में।
4– प्रवर सहायक, मुख्यालय।
5– निजी पत्रावली हेतु।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।

B.A.

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, 776–बी, इन्दिरानगर, देहरादून।

पत्रांकः 501 / नग्रानि / विभागीय प्रोन्नति / 2007 दिनांक : 2 मार्च, 2007

–: **कार्यालय ज्ञाप** :–

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन एवं निर्देशों के कम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री डी0 सी0 तिवाड़ी, सर्वेक्षण सहायक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून की प्रोन्नति संख्या सहायक के पद पर वेतनमान रू0 5000–150–8000 में की जाती है। तदर्थ अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक श्री तिवाड़ी अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रोन्नत पद पर कार्य करते रहेंगे। विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल राज्य को आवंटित इनसे वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री तिवाड़ी अपने मूल पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

उक्त प्रोन्नति आदेश की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर श्री तिवाड़ी द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा यह प्रोन्नति स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं उनसे कनिष्ठ कर्मचारी की प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा तथा जिसके लिये श्री तिवाड़ी का कोई क्लेम नहीं होगा।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0
02.03.07

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री डी0 सी0 तिवाड़ी, सर्वेक्षण सहायक द्वारा सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।

2– सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को इस आशय से कि वे श्री डी0 सी0 तिवाड़ी, संख्या सहायक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।

3– प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में।

4– प्रवर सहायक, मुख्यालय।

5– निजी पत्रावली हेतु।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0
02.03.07

B.A.

(69)

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, 776–बी, इन्दिरानगर, देहरादून।

पत्रांकः 500/ नग्रानि/ विभागीय प्रोन्नति / 2007 दिनांक : 02 मार्च, 2007

–: **कार्यालय ज्ञाप** :–

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन एवं निर्देशों के कम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री आर0 एस0 नेगी, प्रवर सहायक, मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून की प्रोन्नति मुख्य सहायक, जिसका वर्तमान पदनाम प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड– 2 के पद पर वेतनमान रू0 5000–150–8000 में की जाती है। तदर्थ अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक श्री नेगी अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रोन्नत पद पर कार्य करते रहेंगे। विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल राज्य को आवंटित इनसे वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री नेगी अपने मूल पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

उक्त प्रोन्नति आदेश की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर श्री नेगी द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा यह प्रोन्नति स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं उनसे कनिष्ठ कर्मचारी की प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा तथा जिसके लिये श्री नेगी का कोई क्लेम नहीं होगा।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।
02.III.07

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री आर0 एस0 नेगी, प्रवर सहायक मुख्यालय, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना मुख्यालय को प्रेषित करें।
2– सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, इन्दिरापुरम, जी0एम0एस0रोड़, देहरादून।
3– प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में।
4– प्रवर सहायक, मुख्यालय।
5– निजी पत्रावली हेतु।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।
02.III.07

B.A.

मुख्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, 776–बी, इन्दिरानगर, देहरादून।

पत्रांकः 497/ नग्रानि/ विभागीय प्रोन्नति / 2007 दिनांक : 02 मार्च, 2007

–: **कार्यालय ज्ञाप** :–

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन एवं निर्देशों के कम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री बी0पी0 सुन्दरियाल, मुख्य सहायक/ प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, देहरादून की प्रोन्नति प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड– 1 के पद पर वेतनमान रू0 5500–175–9000 में की जाती है। तदर्थ अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक श्री सुन्दरियाल अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रोन्नत पद पर कार्य करते रहेंगे। विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष उक्त पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तरांचल राज्य को आवंटित इनसे वरिष्ठ कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री सुन्दरियाल अपने मूल पद पर स्वतः ही प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

उक्त प्रोन्नति आदेश की प्राप्ति के दस दिन के अन्दर श्री सुन्दरियाल द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है अन्यथा यह प्रोन्नति स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं उनसे कनिष्ठ कर्मचारी की प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा तथा जिसके लिये श्री सुन्दरियाल का कोई क्लेम नहीं होगा।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।
02.III.07

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री बी0पी0 सुन्दरियाल, प्रशासनिक अधिकारी –ग्रेड 2 **द्वारा**– सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
2– सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को इस आशय से कि वे श्री बी0पी0 सुन्दरियाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी सूचना मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करेंगे।
3– प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में।
4– प्रवर सहायक, मुख्यालय।
5– निजी पत्रावली हेतु।

(बृज बी0 रतन)
एस0टी0सी0पी0।
02.III.07

R.A.

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में शासन स्तर से विभागीय पदोन्नति समिति हेतु आपके अनुमोदन दिनांक : 09–12–05 के क्रम में मुख्यालय आदेश संख्या–1728/ नग्रानि/ प्रोन्नति (अराज0)/ 2006 दिनांक 07 नवम्बर, 2006 द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 21 दिसम्बर, 2006 की बैठक उपरान्त निम्नानुसार प्रोन्नति संस्तुति का संक्षेप–

क्रम सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद का नाम	प्रोन्नति के पद का नाम	पत्रावली में पेज नं0
1.	श्री बी0पी0 सुन्दरियाल	मुख्य लिपिक/ प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 2	प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 1	18
2.	श्री पी0आर0 टम्टा (आरक्षित)	प्रवर सहायक	प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 2	17
3.	श्री आर0एस0 नेगी	प्रवर सहायक	प्रशासनिक अधिकारी–ग्रेड 2	16
4.	श्री डी0सी0 तिवाड़ी	सर्वेक्षण सहायक	संख्या सहायक	15
5.	श्रीमती गीता जौहारी	योग्यमानचित्रकार	अनिस्तारण	14
6.	श्री रवीन्द्र सिंह नेगी	योग्यमानचित्रकार	मुख्य मानचित्रकार	13

Estt.